



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 1990/माघ 5, 1911

No. 47] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 1990/MAGHA 5, 1911

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1990

का. आ. 103(अ):—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ
सातवां संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के नीचे—

(i) "क. आर्थिक कार्य विभाग" उपशीर्षक के नीचे—

(क) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्:—

"1. राजस्व विभाग के अधीन उल्लिखित प्रवर्तन कार्य से भिन्न विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) का प्रशासन ।"

(ख) प्रविष्टि 8 का लोप किया जाएगा ;

(ii) "ग. राजस्व विभाग" उपशीर्षक के नीचे प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्:—

"17. प्रवर्तन अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन भंग से उद्भूत मामलों का अन्वेषण, न्यायनिर्णयन और अभियोजन; राजस्व आसूचना महानिदेशालय-सह-प्रवर्तन निदेशालय ।"

रामस्वामी वेंकटरामन, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/90-मंत्रि.]

बिजय कुमार दास, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1990

S.O. 103 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two Hundred and Seventh Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force at once ;

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", -

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", -

(a) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :-

"1. Administration of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), other than enforcement work mentioned under the Department of Revenue (Rajaswa Vibhag)";

(b) entry 8 shall be omitted.

(ii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJASWA VIBHAG)", for entry 17, the following entry shall be substituted, namely :-

"17. Enforcement, viz., investigation, adjudication and prosecution of cases arising out of breaches under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973); the Directorate General of Revenue Intelligence-cum-Directorate of Enforcement."

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

[No. 74|2|1|90-Cab]
B. K. DAS, Joint Secy.

